(GI-1, GI-2, GI-3, VI-1, SI-1, VDI-1)

DATE: 27.07.2021 **MAXIMUM MARKS: 100** **TIMING: 3¼ Hours**

PAPER : AUDITING

DIVISION – A (MULTIPLE CHOICE QUESTIONS)

ANSWER (1-20) CARRY 1 MARK EACH

1. Ans. d
2. Ans. a
3. Ans. c
4. Ans. b
5. Ans. c
6. Ans. c
7. Ans. a
8. Ans. d
9. Ans. a
10. Ans. d
11. Ans. d
12. Ans. a
13. Ans. c
14. Ans. d
15. Ans. c
16. Ans. d
17. Ans. d
18. Ans. b
19. Ans. a
20. Ans. b

ANSWER (21-25) CARRY 2 MARKS EACH

21. **सही:** अगर कोई बकाया राशि मंजूर सीमा/निकास शक्ति से अधिक लगातार बची हुई हैं, तो एक खाता 'कम के बाहर' के रूप में माना जाना चाहिए।

22. **सही:** एक बार अंकेक्षण की रणनीति स्थापित की जायें, एक अंकेक्षण योजना को समग्र अंकेक्षण रणनीति में पहचान जाने वाले विभिन्न मामलों को संबोधित करने के लिए विकासित किया जा सकता हैं, जिससे अंकेक्षको के संसाधनों के कुशल उपयोग के माध्यम से अंकेक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जा सकता है। समग्र अंकेक्षण की रणनीति और विस्तृत अंकेक्षण की स्थापना अंसतत या अनुक्रमिक प्रक्रियाएँ नही होती है, लेकिन एक में परिवर्तन के परिणामस्वरूप दूसरे मे होने वाले परिवर्तनों से निकटता से अंतर–संबधित होते है।

23. Ans. d

24. Ans. d

25. Ans. d

DIVISION B-DESCRIPTIVE QUESTIONS
QUESTION NO. 1 IS COMPULSORY
ATTEMPT ANY FOUR QUESTIONS FROM THE REST

Answer 1:

Examine with reasons (in short) whether the following statements are correct or incorrect : (Attempt any 7 out of 8)

(i) **गलतः–**

''स्वेट इक्विटी शेयर'' का अर्थ है कंपनी द्वारा कर्मचारियों या निदेशकों को छूट पर या विचार के लिए नकद के अलावा अन्य जानकारी के लिए जारी किए गए इक्विटी शेयर या बौद्धिक संपदा अधिकार या मूल्य परिवर्धन की प्रकृति में उपलब्ध अधिकार प्रदान करना, जो भी नाम से हो बुलाया।

(ii) **गलतः–**

यदि कंपनी X की बैलेंस शीट '100 लाख की राशि के साथ भवन दिखाती है, तो ऑडिटर यह मान लेगा कि प्रबंधन ने दावा किया है कि उसका दावा किया गया है:

- Exists बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त इमारत अवधि–अंत (अस्तित्व का दावा) के अनुसार मौजूद है
- कंपनी X ऐसी इमारत (अधिकार और दायित्व दावे) का मालिक है और उसे नियंत्रित करता है
- भवन को माप सिद्धांतों (वैल्यूएशन दावे) के अनुसार सटीक रूप से महत्व दिया गया है

(iii) **गलतः–**

कंपनी द्वारा प्रतिभूति प्रीमियम खाता लागू किया जा सकता है:

(a) पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयरों के रूप में कंपनी के सदस्यों को कंपनी के अप्रकाशित शेयरों के मुद्दे की और:

(b) कंपनी के प्रारंभिक खर्चों को लिखित रूप में

(c) कंपनी के शेयरों या डिबेंचर के किसी भी मुद्दे पर ओफ के खर्च, या कमीशन का भुगतान या छूट की अनुमति दी गई है

(d) कंपनी के किसी भी रिडीजेबल वरीयता शेयरों या किसी भी डिबेंचर के मोचन पर देय प्रीमियम के लिए प्रदान करने में या

(e) धारा 68 के तहत अपने स्वयं के शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की खरीद के लिए।

(iv) **गलतः–**

अंकेक्षक, अंकेक्षण रिपोर्ट में अपनी राय अधिकृत करेगा जबः

(a) लेखा परीक्षक यह निष्कर्ष निकालता हैं, कि लेखा परीक्षण के सबूतों की प्राप्ति के आधार पर वित्तीय विवरण पूरी तरह से भौतिक गलतियों से मुक्त नहीं है।

(v) **सहीः–**

लेखा परीक्षक अपनी बहुत बुरी राय व्यक्त करेगा, जब लेखाा परीक्षक पर्याप्त तथा उपयुक्त लेखा सबूतों को प्राप्त कर लेगा, गलतियों से निष्कर्ष निकाल लेगा, व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से दोनों ही सामग्री वित्तीय विवरणों के लिए उपयुक्त है।

(vi) **गलतः–**

अंकेक्षक को इस धारणा से नहीं जाना चाहिए, कि सिस्टम द्वारा बनाई गई जानकारी सही है और बिना सबूत के आधार पर भरोसा किया जा सकता है, जो दर्शाता है कि प्रणाली द्वारा संचालित जानकारी लागू और लागू होने के समय के लिए आवश्यक मानदण्डों की वैधता पर आधारित है।

(vii) **गलतः–**

दूसरी और न्यायसंगत बंधक, केवल कर्मो या सुरक्षा के निर्माण के इरादे से शीर्षक के अन्य दस्तावेजों के वितरण से प्रभावित होता है।

(viii) **सत्यः–**

उपयुक्तता अंकेक्षण के अनुसार अंकेक्षक अनुचित दशाओं, अपरिहार्यताओं, निष्फल व्ययों चाहे वे व्यय समबन्धित नियमों तथा अनियमों की सीमाओं के अन्तर्गत ही उपगत व्यय क्यों न हों, को खोजने का प्रयत्न करता है।

{One Mark for Correct or Incorrect and 1 Mark for Explanation}

Answer 2:

(a) **लेखा परीक्षा कम्पनी की प्रतिभूतियाँ धारण करता है:** कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 की उपधारा (3) (d) (i) को कम्पनी (अंकेक्षण तथा अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ पढ़ने के अनुसार एक व्यक्ति में लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिये योग्य नहीं होगा, जो या उसका रिश्तेदार या साझेदार उस कम्पनी या उसकी होल्ड़िग या सहयोगी कम्पनी या ऐसी होल्डिंग कम्पनी की सहायक कम्पनियों में कोई भी प्रतिभूति या हित धारण करता है, इसलिए रिश्तेदार कम्पनी में रु 1 लाख से अधिक अंकित मूल्य की प्रतिभूति या हित धारण नहीं करेगा। **{1 M}**

इसके साथ ही, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 की उपधारा 4 के अनुसार जहाँ एक व्यक्ति कम्पनी में लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त है, वह अपनी नियुक्ति के बाद उप–धारा (3) में कथित किसी भी अयोग्यता के लिये उत्तरदायी होता हैं, वह लेखा परीक्षक के रूप में अपना कार्यालय रिक्त करेगा तथा यह लेखापरीक्षक के कार्यकाल में आकस्मिक रिक्ति मानी जाती है। **{1 M}**

वर्तमान स्थिति में, श्री हनुमान, चार्टर्ड अकाउटेंट, मै राम एण्ड हनुमान एसोसियेट्स के एक साझेदार, शिवा लि. के 100 समता अंशो को धारण करते हैं, जो कृष्णा लि. के सहभागी है इसलिए में राम एण्ड हनुमान एसोसियेट कृष्णा लि. के सांवेधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिये आयोग्य होंगे, जो शिवा लि. की होल्डिंग कम्पनी है, क्योंकि साझेदारों में से एक श्री हनुमान उसकी सहयोगी कम्पनी में समता अशों को धारण करते है। **{1 M}**

Answer:

(b) **अंकेक्षण साक्ष्य की पर्याप्तता:** पर्याप्तता अंकेक्षण साक्ष्य की मात्रा का माप है। आवश्यक अंकेक्षण की मात्रा अंकेक्षक की मिथ्या विवरण का जोखिम (जितना अधिक समीक्षा जोखिम उतना अधिक अंकेक्षण साक्ष्य की आवश्यकता होगी तथा साथ में इस प्रकार के अंकेक्षण साक्ष्य की गुणवत्ता) द्वारा प्रभावित होती है। ज्यादा अंकेक्षण साक्ष्य को प्राप्त करना इसकी खराब गुणत्ता की क्षतिपूर्ति नही करता। पर्याप्तता के बारे में अंकेक्षक का निर्णय निम्न तत्वों द्वारा प्रभावित हो सकता है: **{2 M}**

(i) सारवानता
(ii) सारवान मिथ्या विवरण की जोखि
(iii) जनसांख्यिकी का आकार तथा विशेषता

(i) सारवानता को वित्तीय विवरण का उपयोगकर्ता को प्रस्तुति तथा प्रकटीकरण तथा सौदा, खाता शेष की श्रेणीी का महत्व को परिभाषित किया जा सकता है। कम साक्ष्य की आवश्यकता होगी जहां पर अमिकथन वित्तीय विवरण का उपयोगकर्ता के लिए कम सारवान है। परन्तु दूसरी तरफ यदि अभिकथन वित्तीय विवरण का उपयोगकर्ता से ज्यादा सारवान हैं, ज्यादा साक्ष्य की आवश्यकता होगी।

(ii) **सारवान मिथ्या विवरण को जोखिम के रूप में** परिभाषित किया जा सकता है कि वित्तीय विवरण अंकेक्षण से पहले सारवान रूप में मिथ्या वर्णित है। यह अभिकथन स्तर पर वर्णित दो घटक से मिलकर बना है (a) अर्न्तनिहित जोखिम–मिथ्या विवरण की एक अभिकथन की संवेदनशलीता जो किसी संबंधित नियंत्रण की प्रतिफल से पूर्व सारवान होगा (b) नियंत्रण जोखिम–जोखिम एक मिथ्या विवरण है जो एक अभिकथन पर उत्पन्न हो सकता है जो सारवान हो सकता है, को इकाई की आंतरिक नियंत्रण द्वारा समयबद्ध आधार पर रोका अथवा खोजा अथवा सही नही किया जायेगा। अभिकथन के मामले में कम साक्ष्य की आवश्यकता होगी जिसका सारवान मिथ्या विवरण का न्यून जोखिमह ै। परन्तु दूसरी तरफ यदि अभिकथन का सारवान मिथ्या विवरण का उच्च जोखिम है, ज्यादा साक्ष्य की आवश्यकता होगी। **{2 M}**

(iii) **जनसाख्यिकी का आकार** जनसाख्यिकी में सम्मिलित मदों की संख्यो को संदर्मित करता है। छोटी, ज्यादा संजातीय जनसांख्यिकी के मामले में कम साक्ष्य की आवश्यकता है परन्तु दूसरी तरफ बड़ी ज्यादा विजातीय जनसांख्यिकी के मामले में ज्यादा साक्ष्य की आवश्यकता होगी।

Answer:

(c) **प्रावधान तथा स्पष्टीकरण** : सरकारी कम्पनी के मामले में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139(7) के प्रावधान के द्वारा संचालित है जो वर्णित करता है कि सरकारी कम्पनी के मामले **{2 M}**

में प्रथम अंकेक्षक को कम्पनी की पंजीकरण की तिथि से 60 दिवस के अंदर नियंत्रक तथा महालेखाकार के द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

निष्कर्ष : इसलिए, Bhartiya Petrol Ltd. का निदेशक मंडल द्वारा किया प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति व्यर्थ है। **{1 M}**

Answer:

(d) **मौलिक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया के रूप में उपलब्ध तकनीक** : मौलिक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया का डिजाइन विश्वसनीय डाटा की उपलब्धता तथा अंकेक्षण दल का अनुभव तथा सृजनता तक सीमित है। मौलिक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया सामान्यतः निम्न में से एक स्वरूप लेता है।

- **प्रवृति विश्लेषण** – एक सामान्य रूप से प्रयुक्त तकनीक चालू डाटा का गत अवधि प्रक्रिया के साथ तुलना है अथवा दो अथवा अधिक पूर्व अवधि शेष में प्रवृति के साथ तुलना है। हम आंकलन करते है क्या एक खाता का वर्तमान शेष उस खाता के लिए गत शेष के साथ स्थापित प्रवाह के साथ लाइन में है अथवा फेक्टर्स की समझ पर आधारित है जो खाता को बदलता है। **{1 M}**
- **अनुपात विश्लेषण** – जैसे राजस्व तथा व्यय खाता है उसी प्रकार विश्लेषण सम्पत्ति तथा दायित्व खाता उपयोगी है। एक वैयक्तिक चिट्ठा स्वयं में अनुमान करने के लिए कठिन है, परन्तु एक अन्य खाता में सम्बन्ध प्रायः अधिक पुर्वानुमान योग्य है। (उदाहरण : बिक्री से सम्बन्धित व्यापार प्राप्य शेष) अनुपात की समय पर तुलना की जा सकती है अथवा समूह के अंदर पृथक इकाईयों का अनुपात अथवा उसी उद्योग में अन्य कम्पनियों की अनुपात के साथ तुलना की जा सकती है। **{1 M}**
  - ➢ उदाहरण के लिए, वित्तीय अनुपात में सम्मिलित हो सकता हैः
  - ➢ व्यापार प्राप्य अथवा इवेंटरी आवर्त
  - ➢ भाड़ा व्यय बिक्री राजस्व की प्रतिशत के रूप में
- **उचितता टेस्ट** – प्रवृत्ति विश्लेषण से हटकर, यह विश्लेषणात्मक प्रक्रिया पूर्ण अवधि की घटना पर विश्वास नहीं करता, परन्तु विचाराधीन अंकेक्षण उसके लिए गैर वित्तीय डाटा पर निर्भर करता है (उदाहरणत : किराया आय का अनुमान के अभियोग दर अथवा आय अथवा व्यय का अनुमान लगाने के लिए ब्याज दर) यह टेस्ट प्रायः ज्यादा आय विवरण खाता तथा कुछ उर्पाजन अथवा पुर्व भुगतान खाता पर लागू है। **{1 M}**
- **संरचनात्मक मोडलिंग** – एक मोडलिंग टूल चालू खाता शेष का अनुमान लगाने के लिए पूर्व लेखांकन अवधि का वित्तीय तथा/अथवा गैर वित्तीय डाटा जो सांख्यिकी मॉडल को बनाता है। **{1 M}**

Answer 3:

(a) अंकेक्षण सबूत के गम्भीर मूल्यांकन के लिए व्यावसायिक संदेह आवश्यक है। इसमें परिस्थितियों के प्रकाश में प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य की कनिष्ठता और उपयुक्तता पर विचार भी शामिल है, उदाहरण के लिए जहॉ धोखाधड़ी के जोखिम कारक मौजूद है और एक दस्तावेज जो एक धोखे के लिए अति संवेदनशील है, एकमात्र समर्थन साक्ष्य है एक भौतिक वित्तीय विवरण राशि। **{1 M}**

अंकेक्षक रिकॉर्डस और दस्तावेज को वास्तविक रूप में स्वीकार कर सकता है, जब तक कि अंकेक्षण परीक्षक को इसके विपरीत पर विश्वास करने का कारण न हो। फिर भी, अंकेक्षक को अंकेक्षण साक्ष्य के रूप में उपयोग की जाने वाली जानकारी की विश्वसनीयता पर विचार करना आवश्यक है। सम्भव धोखाधड़ी की जानकारी या संकेत की विश्वसनीयता के बारे में संदेह के मामलों में, एसए से आवश्यक है कि अंकेक्षण परीक्षक आगे की जॉच करेगा और यह तय करेगा कि इस मामले को हल करने के लिए किन प्रक्रियाओं या अंकेक्षण प्रक्रियाओं को जोड़ना आवश्यक है। **{1 M}**

अंकेक्षक की उम्मीद नहीं की जा सकती है कि इकाई के प्रबंधन की ईमानदारी और अखंडता के पिछले अनुभव और शासन के आरोप वाले उपेक्षा की उपेक्षा करना। फिर भी, यह विश्वास है कि प्रबंधन और प्रशासन के आरोप वाले ईमानदार है और ईमानदारी से पेशेवर निरीक्षणात्मकता बनाए रखने की आवश्यकता के अंकेक्षक को राहत नहीं देता है। **{1 M}**

Answer:

(b) नियंत्रक तथा महालेखाकार (कैग) का कर्तव्यः

(i) **संघ तथा राज्यों की अनुपालन तथा खातों को जमा करना** – नियंत्रक तथा महालेखाकार इस प्रकार को खाता को रखने के लिए उत्तरदायी कोष कार्यालय अथवा विभाग द्वारा उसके नियंत्रण के अन्तर्गत अंकेक्षण तथा लेखा कार्यालय को पेश आरंभिक तथा सहायक खाता से संघ तथा प्रत्येक राज्य का खाता का अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा। नियंत्रक तथा महालेखाकार संघ, प्रत्येक राज्य तथा विधान सभा वाली केंद्रशासित प्रदेश के उद्देश्य के लिए वार्षिक प्राप्ति तथा सपूर्ति के क्रमशः शीर्ष के अंतर्गत दिखाते हुए प्रत्येक खाता (उसके द्वारा अनुपालन खातो के मामले, विनियोजन खाता) में तैयार अथवा उसके द्वारा (अथवा सरकार अथवा उसकी तरफ से उत्तरदायी व्यक्ति) खातो का सकलन करेगा तथा उन खातों को संबंधित सरकार की सहमति से देय तिथि को अथवा उससे पूर्व राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल अथवा विधान सभा वाली केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासक को यह खाता देगा। **{1/2 M}**

1971 का कैग अधिनियम का संध तथा राज्य की सहायता प्रदान करने तथा सूचना को देने की उत्तरदायी से उसे मुक्त करने का प्रावधान है। नियंत्रक तथा महालेखाकार के लिए वह उत्तरदायी है अथवा विधानसभा वाली केंद्रशासित प्रदेश की सरकार को इस प्रकार की सूचना देगा जैसी उनको समय समय पर आवश्यक है तथा वार्षिक वित्तीय विवरण की तैयारी में सहायता करेगा जैसा वे उचित रूप से पहुंचे।

(ii) **अंकेक्षण से संबंधित सामान्य प्रावधान** – यह नियंत्रक तथा महालेखाकार का कर्तव्य होगा – **{1 M}**

(a) भारत का समेकित कोष तथा प्रत्येक राज्य तथा विधान सभा वाली प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेश से सभी व्यय पर अंकेक्षण करना तथा रिपोर्ट करना तथा ज्ञात करना क्या खाता में दिखाया धन को सपूर्ति है जिसे कानूनी रूप से उपलब्ध है तथा सेवा पर लागू है अथवा उद्देश्य जिसके लिए उन्हे लागू किया अथवा प्रभारित किया तथा व्यय प्राधिकृत के अनुरूप है जो इसे संचालित करता हैः

(b) आकस्मिक फंड तथा सार्वजनिक खाता से संबंधित सघ तथा राज्य का अंकेक्षण तथा रिपोर्ट करना,

(c) संघ अथवा राज्य का किसी विभाग में रखे अन्य सहायक खाता तथा सभी व्यापारिक, निर्मित तथा लाभ तथा हानि खाता पर अंकेक्षण तथा रिपोर्ट करना।

(iii) **प्राप्ति तथा व्यय का अंकेक्षण** – जहां पर किसी संस्था अथवा प्राधिकरण को पर्याप्त रूप से भारत को अथवा राज्य का अथवा विधान सभा वाला किसी केद्रशासित प्रदेश का समेकित कोष से अनुदान अथवा ऋण के द्वारा वित्त पोषक किया, नियंत्रक तथा महालेखाकार प्रभाव में समय के लिए किसी प्रावधान के तहत जो संस्था अथवा प्राधिकरण जैसा मामलों पर लागू है उस संस्था अथवा प्राधिकरण की सभी प्राप्ति तथा व्यय का अंकेक्षण करे तथा उसके द्वारा अंकेक्षण प्राप्ति तथा व्यय का रिपोर्ट करें। **{1/2 M}**

जहां पर एक वित्तीय वर्ष में एक विधान सभा वाली किसी केंद्रशासित प्रदेश अथवा भारत का अथवा किसी राज्य का समेकित कोष से एक संस्था अथवा प्राधिकरण को अनुदान अथवा ऋण 25,00,000 रु. से कम नही है तथा इस प्रकार का अनुदान इस प्रकार की संस्था अथवा प्राधिकरण का कुल व्यय का 75% से कम नही है। इस प्रकार की संस्था अथवा प्राधिकरण को इस प्रकार की अनुदान अथवा ऋण का जैसा भी मामला है, के द्वारा संप्रेषण के उद्देश्य के लिए माना जाता है।

(iv) **अनुदान अथवा ऋण का अंकेक्षण** – जहां किसी अनुदान अथवा ऋण को भारत के किसी संमेकित कोष से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिया जाता है अथवा विधान सभा वाली किसी केंद्रशासित प्रदेश का समेकित कोष से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किसी अनुदान अथवा ऋण को किसी संस्था अथवा प्राधिकरण जो कि विदेशी राज्य अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है, को दिया है नियंत्रक तथा महालेखाकार प्रक्रिया की जांच करेगा जिसके द्वारा अनुमोदित प्राधिकरण स्वयं को शर्त जिसके तहत इस प्रकार का अनुदान अथवा ऋण को दिया है, की पूर्ण होने के बारे में संतुष्ट करता है तथा इस उद्देश्य के लिए उस प्राधिकरण अथवा संस्था की पुस्तकों तथा खाता को उचित गत नोटिस देने के पश्चात पहुंच का अधिकार है। **{1/2 M}**

(v) **संघ अथवा राज्य की प्राप्ति का अंकेक्षण**– नियंत्रक तथा महालेखाकार का कर्तव्य सभी प्राप्ति का अंकेक्षण करना है जो भारत तथा प्रत्येक राज्य तथा विधानसभा वाली प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेश का समेकित कोष मे भुगतानयोग्य है तथा स्वयं को संतुष्ट करेगा कि उस संदर्भ में नियम तथा प्रक्रिया को राजस्व की समीक्षा, संग्रहण तथा उपयुक्त आबंटन पर प्रभावी जांच को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया तथा पूर्ण रूप से अवलोकन किया तथा इस उद्देश्य के लिए खातो को इस प्रकार का परीक्षण करे जैसा वह उद्देश्य समझे तथा उस पर रिपोर्ट करें। **{1/2 M}**

(vi) **स्टोर्स तथा इंवेंटरी का अंकेक्षण** – नियंत्रक तथा महालेखाकार की संघ अथवा राज्य का किसी कार्यालय अथवा विभाग से रखा स्टोर्ज तथा इंवेंटरी का खातों पर अंकेक्षण तथा रिपोर्ट करने का अधिकार है। **{1/2 M}**

(vii) **सरकारी कम्पनिया तथा निगम का अंकेक्षण** – सरकारी कम्पनियों का खाता को अंकेक्षण के संबंध में नियंत्रक तथा महालेखाकार का कर्तव्यों तथा अधिकार को कम्पनी अधिनियम **2013** का प्रावधान के अनुसार उसके द्वारा निष्पादित तथा उपयोग किया। भारत का नियंत्रक तथा महालेखाकार धारा **139** की उपधारा **(5)** अथवा उपधारा **(7)** के अन्तर्गत अंकेक्षक को नियुक्त (अर्थात प्रथम अंकेक्षक तथा बाद के अंकेक्षक की नियुक्ति तथा इस प्रकार के अंकेक्षक को तरीका जिसने सरकरी कम्पनी का खातों का निर्देश देगा) तथा इस प्रकार नियुक्त अंकेक्षक वस्तु के अतिरिक्त नियंत्रक तथा महालेखाकार द्वारा जारी निर्देश, उस पर की गयी कार्यवाही तथा कम्पनी का खाता तथा वित्तीय विवरण पर इसका प्रभाव सम्मिलित होगा। **{1/2 M}**

Answer:

(c) सूचना प्रौद्योगिकी एक इकाई के आंतरिक नियंत्रण की विशिष्ट जोखिम को पेश करता है, जिसमें उदाहरण के लिए सम्मिलित है:

- प्रणाली अथवा प्रोग्राम पर विश्वास जो गलत ढ़ग से डाटा की प्रक्रिया करता है, गलत डाटा को प्रोसेस करता है अथवा दोनों
- डाटा की गैर प्राधिकृत पहुंच जो गैर प्राधिकृत अथवा आस्तित्व में नही सौदों अथवा सौदो की गलत रिकार्डिग सहित डाटा का गलत बदलाव अथवा डाटा का नष्ट करना हो सकता है। विशिष्ट जोखिम उत्पन्न हो सकती है जहां अनेक उपयोगकर्ता एक ही डेटाबेस का उपयोग करते है।
- सूचना प्रौद्योगिकी कर्मी की अपनी निर्दिष्ट कर्तव्यों को निष्पादित करने के लिए आवश्यकता से आगे पहुँच विशेषाधिकार तक पहुंच जिससे कर्तव्यों का पृथक्कीकरण में ब्रेक डाउन आता है।
- मास्टर फाइल में डाटा का गैर प्राधिकृत बदलाव
- प्रणाली अथवा प्रोग्राम में गैर प्राधिकृत बदलाव
- प्रणाली अथवा प्रोग्राम में आवश्यक बदालव करने मे विफलता
- अनुचित मेन्युल हस्तक्षेप
- डाटा की संभावित हानि अथवा आवश्यकतानुसार डाटा तक पहुचने में असमर्थता

{Any 6 Point Each 1/2 Mark}

Answer:

(d) अंकेक्षण की प्रमुख उपयोगिता विश्वसनीय वित्तीय विवरण में है जिसके आधार पर कार्य स्थिति को समझना सरल है। स्पष्ट उपयोगिता के अतिरिक्त, अंकेक्षण के अन्य लाभ है। इनमें से उन पर उधम तथा संस्था जहां पर अंकेक्षण अनिवार्य नहीं है कुछ अथवा सभी काफी मूल्य के है, इनमें से कुछ लाभ को नीचे दिया है :

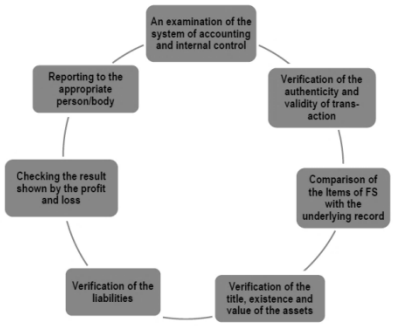

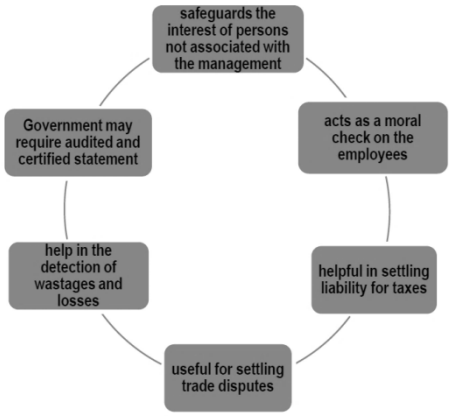

{Any 8 points each 1/2 Mark}

(a) यह इकाई के प्रबंधन के साथ जुडे व्यक्ति का वित्तीय हित का संरक्षण करता है चाहे वे साझेदार है अथवा अंशधारक, बैंकर्स, वित्तीय संस्थान, जनता इत्यादि है।

(b) यह गबन करने के लिए कर्मचारियों पर नैतिक जांच के रूप में कार्यवाही करता है।

(c) लेखा का अंकेक्षित विवरण कर की दायित्व का निपटारा ऋण की सौदेबाजी तथा एक व्यापार के लिए क्रय प्रतिफल के निर्धारण के लिए सहायक है।

(d) यह सम्पत्ति की अग्नि अथवा अन्य आपदा के द्वारा कोई क्षति के सम्बन्ध में तथा उच्च मजदूरी अथवा बोनस के लिए व्यापार विवाद का निपटारा में भी उपयोगी है।

(e) एक अंकेक्षण विभिन्न तरीके जिनसे इनकी जांच की विशेष रूप से वह जो आंतरिक नियंत्रण माप अथवा आंतरिक जांच का अभाव अथवा अपर्याप्तता के कारण को दिखाने के लिए विनिष्ट तथा हानि की खोज में सहायता कर सकता है।

(f) अंकेक्षण ज्ञात करता है क्या लेखा की आवश्यक पुस्तक तथा सहायक रिकार्ड को सही ढंग से रखा है तथा ग्राहक को इस सम्बन्ध में त्रुटियां अथवा अपर्याप्तता को पूरा करने में सहायता करता है।

(g) एक समीक्षा कार्य के रूप में अंकेक्षण संस्था में विभिन्न नियंत्रण की विद्यमानता तथा परिचालन की समीक्षा करता है तथा उनमें कमजोरी, अपर्याप्तता इत्यादि का प्रतिवेदन करता है।

(h) अंकेक्षित खाता साझेदार का प्रवेश अथवा मृत्यु के समय खाता का निपटारा में बहुत सहायक है।

(i) सरकार एक विशेष व्यापार के लिए सहायता अथवा लाइसेंस को जारी करने से पूर्व अंकेक्षित तथा प्रमाणित विवरण की मांग कर सकती है।

Answer 4:

(a) यदि, धोखाधड़ी या संदेहास्पद धोखाधड़ी से उत्पन्न गलत अनुमान के परिणामस्वरूप, अंकेक्षक का असाधारण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो लेखा परीक्षा को जारी रखने के लिए अंकेक्षक की क्षमता में सवाल उठाते हैं, तो अंकेक्षक निम्नानुसार होगाः

(a) परिस्थितियों में लागू पेशेवर और कानूनी जिम्मेदारी को निर्धारित करें, इसमें यह भी शामिल है कि क्या अंकेक्षक के लिए उस व्यक्ति या व्यक्तियों को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है जो अंकेक्षण की नियुक्ति की है या, कुछ मामलों में, नियामक प्राधिकरणों को, **{1 M}**

(b) विचार करें कि क्या कार्य से वापस लेने के लिए उपयुक्त हैं, जहाँ लागू कानून या विनियमन के तहत वापसी संभव है, तथा **{1 M}**

(c) यदि अंकेक्षक वापस ले लेता हैः

(i) प्रबंधन के उपयुक्त स्तर के साथ चर्चा करें और उनसे जुड़ा हुआ अनुशासन से अंकेक्षक की वापसी और निकासी के कारणों के कारण; तथा

(ii) निर्धारित करें कि क्या व्यक्ति या व्यक्तियों को रिपोर्ट करने के लिए एक पेशेवर या कानूनी आवश्यकता है, जिन्होंने लेखा परीक्षा की नियुक्ति की है या, कुछ मामलों में, नियामक प्राधिकरणों को, सभागार से निकाले गए अंकेक्षक की वापसी और वापसी के कारण। **{2 M}**

Answer:

(b) **नकद की हेराफेरी** : नकद की हेराफेरी को निम्न तरीका में सामान्यतः पाया जाता है :

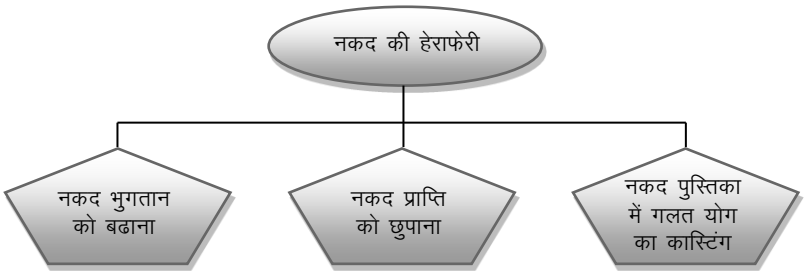

(a) **नकद भुगतान को बढ़ाने के द्वारा**

भुगतान का बढाने का उदाहरणः

(1) कृत्रिम वाउचर्स के विरूद्ध भुगतान करना

(2) वाउचर्स के विरूद्ध भुगतान करना, जिसकी राशि को बढाया गया

(3) मजदूरी तालिका के योग में कृत्रिम श्रमिकों के नाम शामिल करने या अन्य किसी रूप में बढाने के द्वारा हेराफेरी करना।

(4) लघु नकद व्यय का योग की कास्टिंग तथा विस्तृत कॉलम का योग का आधिक्य में समायोजन करने ताकि क्रॉस योग मेल को दिखाता है।

{Any 2 points 1/2 Mark Each}

(b) **नगद प्राप्ति को छुपाने के द्वारा**

रसीदें कैसे दबा दी जाती है इसकी कुछ तकनीक हैः

(1) Teeming and Lading : एक ग्राहक से प्राप्त राशि जिसे गबन किया, तथा साथ में एक अन्य ग्राहक से प्राप्त धन की खोज को रोकने के लिए ग्राहक जिसने पहले भुगतान किया ग्राहक का खाते से क्रेडिट किया तथा उसके पश्चात् द्वितीय ग्राहक के खाता में क्रेडिट किया तथा इस प्रकार की प्रेक्टिस को जारी किया ताकि कोई भी खाता समय की अवधि के लिए भुगतान के लिए अदत है, जो प्रबन्धन या तो उसे खाता का विवरण को भेजता है अथवा उसे संप्रेषण किया।

(2) गैर प्राधिकृत अथवा कृत्रिम छूट, भत्ता, कटौती इत्यादि का ग्राहक का खाता में समायोजन करना तथा उसके द्वारा भुगतान राशि का गबन।

(3) इसके शेष के सम्बन्ध में ऋण का अपलेखन जिसके विरूद्ध नकद को पहले से प्राप्त किया परन्तु गबन किया गया।

(4) नकद बिक्री का पूर्ण रूप से लेखांकन नहीं करना।

(5) विविध प्राप्ति के लिए लेखांकन नहीं उदाहरणतः स्क्रेप की बिक्री, कर्मचारियों को आबंटित आवास इत्यादि

(6) सम्पूर्ण रूप में सम्पत्ति का अपलेखन, उसे बाद में बेचना तथा राशि का गबन।

{Any 2 points 1/2 Mark Each}

(c) **नकद पुस्तिका में गलत योग की कॉस्टिंग** **{1 M}**

Answer:

(c) CAG की भूमिका कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धाराओं (5), (6) व (7) में निर्धारित है। एक सरकारी कम्पनी की दशा में CAG धारा 139 की उपधारा (5) या (7) के अंतर्गत अंकेक्षक की नियुक्ति करेगा अर्थात् प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति या बाद वाले अंकेक्षक की नियुक्ति और ऐसे अंकेक्षक को सरकारी कम्पनी के लेखों के अंकेक्षण के बारे में निर्देश देगा कि उनका अंकेक्षण किस ढंग से किया जाए। इस प्रकार से नियुक्त अंकेक्षक CAG को अंकेक्षण रिपोर्ट की एक प्रति देगा, अन्य बातों के अतिरिक्त उससे निर्देश होंगे, यदि कोई हैं, उस पर की गई कार्यवाही और इसका कम्पनी लेखों और वित्तीय विवरण पर पड़ने वाला प्रभाव। **{1 M}**

CAG को अंकेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के 60 दिन के अन्दर अधिकार होगा।

(a) ऐसी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों का पूरक अंकेक्षण (Supplementary Audit) ऐसे व्यक्तियों के द्वारा कराने का जिन्हें वह इस संबंध में अधिकृत करें। ऐसे अंकेक्षण के उद्देश्यों के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सूचना या अतिरिक्त सूचना दे, ऐसे विषयों के संबंध में, ऐसे व्यक्तिय या व्यक्तियों द्वारा और ऐसे ढंग से जैसा वह CAG निर्देश दे। **{$1^{1/2}$ M}**

(b) ऐसी अंकेक्षण रिपोर्ट पर टिप्पणी और उसे पूरक करें :
बशर्ते कि CAG द्वारा की गई टिप्पणी या पूरक अंकेक्षण रिपोर्ट कम्पनी द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को भेजी जाएगी, जो धारा 136 की उपधारा (1) के अंतर्गत इसे प्राप्त करने का अधिकारी है, अर्थात् कम्पनी के प्रत्येक सदस्य, कम्पनी द्वारा जारी ऋणपत्रों के न्यासी को और सभी व्यक्तियों को ऐसे सदस्यों या न्यासी को छोड़कर, जो इसे प्राप्त करने के अधिकारी है। साथ–साथ कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत की जाएगी, अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय और उसी ढंग से।

नमूने का अंकेक्षण (Test Audit) : पुनः अंकेक्षण और अंकेक्षक के संबंध में प्रावधानों के पूर्वाग्रह के बगैर CAG उन कम्पनियों के संबंध में, जो धारा 139 की उपधारा (5) और (7) में समामेलित है, यदि वह आवश्यक समझें एक आदेश के द्वारा ऐसी कम्पनी के लेखों के नमूने की अंकेक्षण जॉच (Test Audit) कर सकता है। ऐसे नमूने को अंकेक्षण जॉच की रिपोर्ट के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, शक्तियॉ और सेवा की शर्ते अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के प्रावधान लागू होंगे। जैसा कि उपरोक्त में वर्णन किया गया है, एक सरकारी कम्पनी की दिशा में अंकेक्षण पेशेवर अंकेक्षकों द्वारा किया जाता है। जिनकी नियुक्ति CAG की सलाह पर की जाती है। CAG कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत पूरक या नमूने की जॉच अंकेक्षण करवाने के लिए अधिकृत है। **{$1^{1/2}$ M}**

Answer:

(d) (i) **किराया व्यय–** किराया समझौते के साथ माह अनुसार अनुसूची को प्राप्त करना। सत्यापन करें यदि व्यय को सभी 12 माह के लिए रिकार्ड किया तथा क्या किराया। राशि अर्न्तनिहित समझौते के अनुसार है। विशिष्ट विचार को समझौते में उतार चढ़ाव वाक्य पर देनी चाहिए ताकि सत्यापन किया जा सके। यदि किराया अंकेक्षण के अन्तर्गत अवधि के दौरान समायोजित किया साथ में सत्यापन करे यदि समझौता इकाई के नाम में है तथा क्या व्यय इकाई का व्यापार परिचालन को चलाने के लिए प्रयुक्त परिसर से संबंधित है। **{$1^{1/2}$ M}**

(ii) **ऊर्जा तथा ईधन व्यय–** विद्युत बिल के साथ माह अनुसार व्यय अनुसूची का सत्यापन करे यदि व्यय को 12 माह के लिए रिकार्ड किया। साथ ही, उपभोग की गयी विद्युत का माह बार सारांश का संकलन करें तथा मासिक आधार पर सृजित बिल की गणितीय शुद्धता की जांच करें। उपभोग की गयी यूनिटो के संबंध में, उत्पादित निर्मित वस्तुओं की इकाइयों का उपभोग की गयी मासिक विद्युत यूनिटस के साथ लिक करे तथा मासिक प्रवृति में अतर के लिये कार्यो का अन्वेषण करें। **{$1^{1/2}$ M}**

Answer 5:

(a) यद्यपि लिखित अभ्यावेदन आवश्यक अंकेक्षण के साक्ष्य प्रदान करते हैं, वे किसी भी ऐसे मामलों के बारे में स्वयं प्रभावी एवं उपयुक्त अंकेक्षण प्रमाण प्रदान नहीं करते हैं जिसके साथ वे सौदा करते हैं। इसके अलावा, यह तथ्य कि प्रबंधन ने विश्वसनीय लिखित अभ्यावेदन प्रदान किए हैं, वह अन्य अंकेक्षण प्रमाणों की प्रकृति को प्रभावित नहीं करते जो अंकेक्षक प्रबंधन की जिम्मेदारियों को पूरा करने या विशिष्ट तर्को के बारे में प्राप्त करता है। **{2 M}**

दी गई समस्या के लिए उपरोक्त आवेदन के बाद, लेखा परीक्षक द्वारा कम्पनी द्वारा आयोजित वित्त पोषित जमाओं के समर्थन में बैंकर की प्रमाणिकता प्रदान करने के लिए अनुरोध करेंगे। **{1 M}**

Answer:

(b) लेखा परीक्षक के उद्देश्य–स्पष्ट और उचित संशोधित राय व्यक्त करने के लिए
लेखांकन मानक 705 के अनुसार ''स्वतन्त्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में राय में संशोधन'' लेखा परीक्षक का उद्देश्य वित्तीय विवरणों पर, जो आवश्यक हैं, स्पष्ट और उचित संशोधित राय व्यक्त करना होता हैं, जब– **{2 M}**

(a) ऑडिटर यह निष्कर्ष निकालता हैं, कि प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्यों के आधार पर वित्तीय विवरण पूरी तरह से भौतिक गलतियों से मुक्त है। **{2 M}**

(b) लेखा परीक्षक यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त तथा उचित लेखा परीक्षण सबूत जुटाने में असमर्थ है, कि वित्तीय विवरण पूरी तरह भौतिक गलतियों से मुक्त है।

Answer:

(c) अंकेक्षण में सन्निहित विशिष्ट कदम होंगे :

(1) सत्यापन **(Verify)**
- (ए) शो के दौरान सिनेमा हॉल में प्रवेश केवल मुद्रित टिकटों के माध्यम से ही होता है।
- (बी) टिकटें क्रमांकित है तथा पुस्तकों में जिल्द बंद है।
- (सी) जारी की गई टिकटों के नम्बर प्रत्येक शो तथा श्रेणी के लिए अलग होते हैं, यद्यपि उसी दिन शो के लिए उसी श्रेणी के नम्बर प्रत्येक सप्ताह क्रमानुसार चलते हैं।
- (डी) अग्रिम बुकिंग के लिए टिकटों की एक पृथक श्रृंखला जारी की जाती है, तथा
- (ई) टिकटों का स्टॉक एक उत्तरदायी अधिकारी के कब्जे मं होता है।

(2) पुष्टि करना कि शो के अन्त में बिक्री टिकटों का एक विवरण तैयार किया जाता है तथा प्राप्त हुई रोकड़ को मिलाकर देखा जाता है।

(3) फ्री पासों का एक रिकॉर्ड रखा जाता है तथा उनको अधिकार के अंतर्गत ही जारी किया जाता है, इसकी पुष्टि करें ।

(4) वसूल हुए मनोरंजन कर की राशि का प्रत्येक श्रेणी के कुल टिकटों की संख्या से मिलान करें।

(5) दैनिक विवरण के हवाले से विभिन्न शो के लिए टिकटों की बिक्री पर वसूल हुई रोकड़ के सम्बन्ध में रोकड़ बही में प्रविष्टियों का प्रमाणन करें जिसकी किये गये विभिन्न शो के लिए निर्गमित टिकटों के रिकॉर्ड के साथ उपर्युक्त तौर से परीक्षण जॉच की जा चुकी है।

(6) विज्ञान स्लाइडो तथा शाट्स के लिए वसूल किये गये प्रभार को सिनेमा में रखे (Register of Slides and Shorts Exhibited) के हवाले से तथा इस संबंध में विज्ञापनकर्ताओं के साथ किये गये समझौतों के संदर्भ में सत्यापित किया जाये।

(7) विज्ञापन, मरम्मत तथा अनुसरण पर किये गये व्ययों का सत्यापन किया जाये। ऐसे व्ययों का कोई भी भाग पूंजीगत न किया जाये सिवाय व्यापक तौर पर साज–सज्जा के व्यय को छोड़कर तथा इसकी आस्थगत आगम व्ययों के रूप में समायोजित किया जाना चाहिए।

(8) पुष्टि करें कि फर्नीचर तथा मशीन पर ह्रास उपयुक्त दर से लगाया गया है, जो ऐसी सम्पत्तियों के संबंध में अन्य व्यवसायों की दशा में लागू होने वाली दरों से कहीं अधिक है।

(9) किराये पर ली गई फिल्मों के भुगतानों को वितरक के बिलों से प्रमाणित करना चाहिए अथवा संबंधित अनुबंधों के संदर्भ में उनका मिलान कर प्रमाणन करना चाहिए।

(10) फिल्म के किराये के संबंध में वितरकों की दी गयी अग्रिम धनराशि के असमायोजित शेषों से जॉचना चाहिए तथा यह देखना चाहिए, कि वे प्राप्त है तथा शोध्य है। यदि ऐसी कोई फिल्म है, जो चल रही है तथा उसके संबंध में भुगतान किया जा चुका है, तो यह देखना चाहिए, कि ऐसे अग्रिमों को अभी तक क्यों समायोजित नहीं किया गया है। प्रबंध से अग्रिमों के संबंध में प्रावधान बनाने के लिए भी सुझाव देना चाहिए, यह प्रावधान उनसे संबंधित होते हैं, जो शोधनीय है।

(11) रेस्टोरेन्ट की आय में भाग के संग्रहण हेतु व्यवसाय की भली प्रकार जॉच–पड़ताल की जानी चाहिये या तो टेकिंग्स (takings) की एक स्थायी राशि या एक स्थायी प्रतिशत वार्षिक तौर पर प्राप्त हो सकता है। उस स्थिति में जबकि रेस्टोरेंट सिनेमा हॉल द्वारा चलाया जा रहा तो इसकी जॉच के लिए खातों की भी जॉच करनी चाहिये। अंकेक्षण में भोज्य पदार्थो को विभिन्न मदों के विक्रय, भोजन पदार्थ के क्रय, शीतल पेय, सिगरेट इत्यादि शामिल किये जाते हैं।

{Any 8 points each 1/2 marks}

Answer:

(d) अंकेक्षक की संबधित पक्ष संबंध, सौदे अथवा शेष के लिए उपयुक्त रूप से लेखांकन करने में इकाई की विफलता से उत्पन्न सारवान मिथ्या विवरण की जोखिम की पहचान, समीक्षा तथा प्रत्युतर के लिए अंकेक्षण प्रक्रिया का निष्पादित करने का उत्तरदायित्व है।

अंकेक्षक को इकाई का संबंधित पक्ष संबंध तथा सौदे को पर्याप्त रूप से एक समझ को प्राप्त करने की आवश्यकता है ताकि यह निष्कर्ष निकालने में समर्थ हो सके कि क्या वित्तीय विवरण जहां तक यह उन संबंधों तथा सौदो द्वारा प्रभावित है:

{1 M}

(a) एक सत्य है तथा उचित प्रस्तुति को प्राप्त करना; अथवा
(b) भ्रामक नही है (अनुपालन फ्रेमवर्क के लिए)

इसके अतिरिक्त इकाई की संबंधित पक्ष संबंध तथा सौदों की समझ अंकेक्षक की आकलन के लिए प्रांसगिक है क्या धोखाधड़ी जोखिम फेक्टर प्रस्तुत है जैसा SA 240 द्वारा आवश्यक है। यह इसलिए क्योंकि धोखाधड़ी को संबंधित पक्ष के जरिये आसानी से किया जा सकता है।

अकेक्षण की अर्न्तनिहित परिसीमा के कारण, अपरिहार्य जोखिम है वित्तीय विवरण की कुछ सारवान मिथ्या विवरण को खोजा नही जा सकता चाहे अंकेक्षण की उपयुक्त रूप से योजनाबद्ध किया तथा SA के अनुसार निष्पादित किया। संबंधित पक्षोंके संदर्भ में, सारवान मिथ्या विवरण की खोज के लिए अंकेक्षक की अर्न्तनिहित परिसीमा का प्रभावी इस प्रकार का कारण के लिए अधिक है जिसके कारण निम्न है: **{2 M}**

- प्रबंधन सभी संबंधित पक्ष की विद्यमानता से अवगत नही हो सकता।
- संबंधित पक्ष संबंध प्रबंधन द्वारा सांठगांठ, छुपाने अथवा हेराफेरी के लिए बड़े अवसर को प्रस्तुत कर सकता है।
- पेशेवर सदेह के साथ अंकेक्षण की योजना तथा निष्पादन जैसा SA 200 के द्वारा आवश्यक है अप्रकट संबंधित पक्ष संबंधो तथा सौदों के लिए संभावना को देकर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस SA में आवश्यकता को संबंधित पक्ष जिसकी पहचान की जा सकती है।

Answer 6:

(a) अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ तथा हानि

एक अंकेक्षण कार्यक्रम के फायदे हैं:

(a) यह सहायक को सामान्यतः काम करने के निर्देशों के कुल और स्पष्ट सेट के साथ अंकेक्षण को पूरा करता है।
(b) विशेष रूप से प्रमुख अंकेक्षण के लिए यह आवश्यक है कि काम करने के लिए किए जाने वाले काम का एक पूरा दृष्टिकोण प्रदान करें।
(c) क्षमता के आधार पर नौकरियों के लिए सहायकों का चयन आसान हो जाता हैं, जब काम तर्कसंगत रूप से योजनाबद्ध, स्पष्ट और पृथक हों।
(d) एक लिखित और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के बिना कुछ 'मानसिक' योजना के आधार पर काम जरूरी है ऐसी स्थिति में हमेशा कुछ पुस्तकों और रिकॉर्डो को अनदेखा करने या देखने का खतरा रहता है। एक अच्छी तरह से तैयार किए गए कार्यक्रम के तहत, खतरें सिरे से कम है और अंकेक्षण व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ सकती है। **{Any 6 Points Each 1/2 Mark}**
(e) सहायकों, कार्यक्रम पर अपने हस्ताक्षर डालने के द्वारा, व्यक्तिगत रूप से उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करते है और यदि आवश्यक हों, तो काम करने का काम सहायक को वापस किया जा सकता है।
(f) प्रिंसिपल पूरा काम के लिये नौकरियों को नियुक्त सहायकों द्वारा शुरू की गई अंकेक्षण कार्यक्रमों की परीक्षा से हाथ में विभिन्न अंकेक्षण की प्रगति को नियंत्रित कर सकता है।
(g) यह आगामी वर्ष में किए जाने वाले अंकेक्षण के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है।
(h) एक उचित रूप से तैयार अंकेक्षण लेखा परीक्षक के खिलाफ लापरवाही के किसी भी आरोप की स्थिति में साक्ष्य के रूप में कार्य करता है। यह स्थापित करने में काफी मूल्य हो सकता है कि उसने उचित कौशल और देखभाल का प्रयोग किया जो पेशेवर लेखा परीक्षक से अप्रेक्षित था।

Answer:

(b) **अंकेक्षण प्रपत्रीकरण** : ''अंकेक्षण प्रपत्रीकरण'' पर SA 230, अंकेक्षण प्रपत्रीकरण निष्पादित अंकेक्षण का रिकार्ड, प्राप्त प्रासंगिक अंकेक्षण साक्ष्य तथा अंकेक्षक द्वारा पहुंचे निष्कर्ष को संदर्भित करता है (शब्द जैसे ''वर्किंग पेपर अथवा वर्कपेपर को कभी कभी प्रयुक्त किया जाता है)

अंकेक्षण प्रपत्रीकरण की प्रकृति

अंकेक्षण प्रपत्रीकरण प्रदान करता है : **{1 M}**

(a) अंकेक्षक का सम्पूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के बारे एक निष्कर्ष के लिए अंकेक्षक का आधार का साक्ष्य तथा

(b) साक्ष्य की अंकेक्षण SAs तथा लागू कानूनी तथा विनियामक आवश्यकता के अनुसार योजनाबद्ध तथा निष्पादित किया।

अंकेक्षण प्रपत्रीकरण का उद्देश्य

अंकेक्षण प्रपत्रीकरण का निम्न उद्देश्य है :

1. अंकेक्षण की योजना तथा निष्पादन में लिप्तता दल की सहायता।
2. अपने समीक्षा उत्तरदायित्व का निर्वाहन के तथा अंकेक्षण कार्य का निर्देश तथा पर्यवेक्षण के लिए लिप्तता दल के सदस्य में सहायता करना।
3. अपने कार्य के लिए जवाबदेह करने के लिए लिप्तता दल को समर्थ करना।
4. भावी अंकेक्षण का लगातार महत्व का मामला का रिकार्ड को रखना।
5. गुणवत्ता नियंत्रण समीक्षा तथा निरीक्षण का परिचालन को समर्थ करना।
6. लागू कानूनी, विनियामक अथवा अन्य आवश्यकता के अनुसार बाहरी निरीक्षण का परिचालन को समर्थ करना।

{Any 4 points 1/2 Mark Each}

Answer:

(c) भारत में बैंकिंग उद्योग का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा नियंत्रित किया जाता है, हमारे देश के केन्द्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। आरबीआई भारतीय वित्तीय प्रणाली (जिसमें बैंकों और गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान शामिल है) के घटकों के विकास और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है, साथ ही केन्द्र सरकार के साथ संयोजन के रूप में, मौद्रिक और क्रेडिट नीतियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। **{2 M}**

आरबीआई के महत्वपूर्ण कार्यो मुद्रा जारी करना है : मुद्रा मुद्दे का विनियमन : केन्द्रीय और राज्य सरकारों के लिए बैंकर के रूप में कार्य करना : और टर्म–ऋण देने वाले संस्थानों सहित वाणिज्यिक और अन्य प्रकार के बैंको के लिए बैंकर के रूप में कार्य करना इसके अलावा, आरबीआई को वाणिज्यिक और अन्य बैंकों की गतिविधियों को विनियमित करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। कोई बैंक आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त किए बिना बैंकिंग के कारोबार की शुरू नहीं कर सकता है या नई शाखाऐं नहीं खोल सकता है। आरबीआई के पास किसी भी बैंक का निरीक्षण करने की भी शक्ति है। **{2 M}**

Answer:

(d) एक अन्य अंकेक्षक के कार्य का उपयोग करना : जब शाखा के खाते का अंकेक्षण कम्पनी के अंकेक्षक के अतिरिक्त व्यक्ति द्वारा किया जाता है, इस प्रकार के अंकेक्षक की तथा शाखा का खातों का अंकेक्षण के संबंध में कम्पनी के अंकेक्षक तथा कम्पनी के अंकेक्षण की भूमिका की स्पष्ट समझ होने की आवश्यकता है, साथ में एक प्रभावी अंकेक्षण के लिए दो अंकेक्षकों के मध्य सही समझ होने की काफी आवश्यकता है। इस आवश्यकता की मान्यता में, ICAI की परिषद ने इन मुद्दों को SA 600, ''एक अन्य अंकेक्षक का कार्य का उपयोग में डील किया है।'' यह स्पष्ट करता है कि कुछ स्थिति में, इकाई को संचालित करने वाला विधान प्रमुख अंकेक्षक को घटक का दौरा करने तथा उक्त घटक की लेखा पुस्तकों तथा अन्य रिकार्ड का परीक्षण करने का अधिकार देता है यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता है। जहां पर घटक के लिए एक अन्य अंकेक्षक को नियुक्त किया है, प्रमुख अंकेक्षक सामान्यतः इस प्रकार के अंकेक्षक का कार्य पर विश्वास करने का हकदार है जब तक कि कुछ विशेष परिस्थिति है जो उसे उस घटक की लेखा पुस्तक तथा अन्य रिकार्ड का परीक्षण करने तथा / अथवा घटक का दौरा करना आवश्यक ना कर दें। आगे यह कहता है कि यह अंकेक्षक को पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया को निष्पादित करना चाहिए कि प्रमुख अंकेक्षक का उद्देश्य के अन्य अंकेक्षक का कार्य पर्याप्त है। जहां पर एक अन्य अंकेक्षक का कार्य का उपयोग करते हुए प्रमुख अंकेक्षक को साधारणतः निम्न प्रक्रिया को निष्पादित करना चाहिएः **{2 M}**

(i) अन्य अंकेक्षक को उपयोग की सलाह देना जिस अन्य अंकेक्षक को कार्य में लिया जायेगा तथा अंकेक्षण की योजना चरण में उनके प्रयास का सामंजस्य के लिए पर्याप्त प्रबन्ध करना। प्रमुख अंकेक्षक मामलों जैसे क्षेत्र जिसमें विशेष विचार की आवश्यकता है, अर्न्तघटक सौदो की पहचान के लिए प्रक्रिया जिसमें प्रकटीकरण की आवश्यकता हो सकती है तथा अंकेक्षण की पूर्णता के लिए समय सारणी का अन्य अंकेक्षक को नियुक्त करेगा, तथा **{1 M}**

(ii) अन्य अंकेक्षक को महत्वपूर्ण लेखांकन, अंकेक्षण तथा रिपोर्टिंग आवश्यकता के बारे में सलाह देगा तथा उनके साथ अनुपालना के बारे में प्रतिवेदन को प्राप्त करेगा।

प्रमुख अंकेक्षक अन्य अंकेक्षक के साथ लागू अंकेक्षण प्रक्रिया का चर्चा करेगा अथवा अन्य अंकेक्षक की प्रक्रिया तथा खोज की लिखित सारांश की समीक्षा करेगा जो पूर्ण प्रश्नावली अथवा जांच सूची का स्वरूप में हो सकता है। प्रमुख अंकेक्षक अन्य अंकेक्षक के पास दौरा करने का विचार कर सकता है। प्रक्रिया की प्रकृत्ति, समय तथा हद लिप्पता की प्रकृति तथा अन्य अंकेक्षक की पेशेवर सक्षमता का प्रमुख अंकेक्षक का ज्ञान पर निर्भर होगी। इस ज्ञान को अन्य अंकेक्षक का गत अंकेक्षण कार्य की समीक्षा से बढ़ाया जा सकता है। **{1 M}**

—**—